



2026:AHC:17137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45423 सन् 2025

गिर्जेश

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा, शैलेन्द्र श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याची ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि जिला प्रशासन को ग्राम पुरेना, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर के गाटा संख्या 474 पर स्थित 'एनएआर' अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया जाए।
2. आज जब यह विषय सुनवाई के लिए लिया गया, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई कि यदि याची अतिक्रमणकर्ता के अवैध निर्माण को हटाना चाहता है, तो उसके पास उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. इस दृष्टिकोण से, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सक्रलैन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।